

महिलाओं द्वारा भारतीय कानून लैंगिक आधार पर दुरुपयोग

प्रलिस के लयः

[जनहति याचिका, सर्वोच्च नयायालय, दहेज नषिध अधनियम, 1961, धारा 498A, भारतीय दंड संहति, दंड प्रकरया संहति, 1973, घरेलू हसिा से महलियाओं का संरक्षण अधनियम, 2005, वधिआयोग।](#)

मेन्स के लयः

दहेज और घरेलू हसिा कानूनों का दुरुपयोग और संबधति मुद्दे, लगी तटस्थ कानून की आवश्यकता

[स्रोत: इंडयिन एक्सप्रेस](#)

चर्चा में कयों?

हाल ही में, बंगलूरु में एक तकनीकी वशिषज्ञ के आत्महत्या करने के बाद [सर्वोच्च नयायालय](#) में एक [जनहति याचिका \(PIL\)](#) दायर की गई है, जसिमें [दहेज और घरेलू हसिा से जुड़े मौजूदा कानूनों](#) की समीक्षा और सुधार का अनुरोध कया गया है ताक उनका दुरुपयोग रोका जा सके।

- याचिका में कहा गया है क [दहेज नषिध अधनियम, 1961](#) और [भारतीय दंड संहति \(अब भारतीय नयाय संहति\)](#) की [धारा 498A](#) का दुरुपयोग असंबधति वविादों को नपिटाने और पत्ती के परवार को परेशान करने के लयि कया गया है।

भारतीय कानून कसि प्रकार लगी-पक्षपाती है?

- IPC की धारा 304B (दहेज मृत्यु):** समय के साथ लोगों को यह वशिवास दलियाया गया क वविाहति भारतीय महिला की हर अप्राकृतकि या असामयकि रूप से हुई मृत्यु दहेज मृत्यु है।
 - ऐसे मामलों में पत्तीा रशिेदार को कम-से-कम सात वर्ष के कारावास की सज़ा दी जाएगी, जसिे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है।
- IPC की धारा 498A (महलियाओं के प्रतकिरूरता):** धारा 498A के तहत वविाहति महिला के प्रतकिरूरता या उत्पीडन का दोषी पाए जाने पर पत्तीा उसके रशिेदारों को तीन साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।
 - धारा 304B एक गैर-ज़मानती, गैर-समझौता योग्य और संज्जेय अपराध है, जसिका अर्थ है कयिद आरोप झूठा भी हो तब भी मुकदमा चलेगा और पत्ती को नरिदोष साबति होने तक दोषी माना जाएगा।
 - राष्ट्रीय अपराध रकिर्ड ब्यूरो के आँकड़ों के अनुसार, वर्ष 2012 में लगभग 200,000 लोगों को अप्रमाणति दहेज के आरोपों में गरिफ्तार कया गया, जनिमें से केवल 15% अभयिक्तों को दोषी ठहराया गया।
- IPC की धारा 375 (बलात्कार):** IPC की धारा 375 के तहत केवल पुरुष ही अपराधी हो सकते हैं और महलियाएँ ही बलात्कार की शकिार हो सकती हैं। यह धारा पुरुषों और ट्रांसजेंडरों को बलात्कार पीडति के रूप में मान्यता नहीं देती है।
 - भारतीय दंड संहति की धारा 377 पुरुष पीडतियों के लयि एकमात्र वकिल्प है, लेकनि इसमें कई चुनौतयिाँ हैं तथा यह्युरुषों द्वारा पुरुषों पर कयिे जाने वाले यौन शोषण को बलात्कार के रूप में वर्गीकृत नहीं करती है।
- BNS की धारा 69:** यह "धोखे से यौन संबध बनाने" को अपराध मानती है, जसिमें "बनिा इरादे के कसिी महिला से शादी करने का वादा करना" भी शामिल है, जसिके लयि 10 साल तक की कैद और जुर्माना हो सकता है।
 - शादी के वादे पर सहमति से बनाया गया यौन संबध तभी अपराध माना जाएगा जब पुरुष इससे मुकर जाए, महिला नहीं।
 - "शादी का वादा" करना गैरकानूनी है, जसिसे कसिी वयक्तीकी नजिता और स्वायत्तता के अधकिार का उल्लंघन हो सकता है, जबक इस तथय की अनदेखी की जा सकती है क महलिया ने स्वेच्छा से इस रशिे में प्रवेश कया है।
- IPC की धारा 354:** यह महलिया की मर्यादा और मान सम्मान को कषति पहुँचाने के लयि उस पर कया गया हमला या उसके साथ गलत मंशा के साथ ज़ोर जबरदस्ती है। हालाँक पुरुष और ट्रांसजेंडर की मर्यादा और मान सम्मान की रक्षा के लयि ऐसा कोई कानून नहीं बनाया गया है।
 - ऐसे मामले भी देखने को मलिते हैं जनिमें महलियाएँ पुरुषों को धमकाती हैं तथा इसके लयि उन पर कोई मुकदमा नहीं चलता (कयोंक देश के कानून में ऐसे अपराधों से पुरुषों की रक्षा नहीं की गई है) है।
- CrPC अधनियम, 1973 की धारा 125:** भारत में दंड प्रकरया संहति, 1973 की धारा 125 के तहत न केवल पत्तीी बल्क उसके माता-पति

एवं बच्चों के लिये भी भरण-पोषण की अवधारणा को नरिधारति कयिा गया है।

- भरण-पोषण कानून का उद्देश्य पुरुषों को अपने आश्रितों के भरण-पोषण के लिये पूरी तरह ज़िम्मेदार बनाना (बनिा इस बात पर वचिार कएि कएि महिलाओं को वास्तव में वत्तितीय सहायता की आवश्यकता है या नही) है।

- घरेलू हसिा से महिला संरक्षण अधनियिम, 2005: इसमें पुरुषों तथा ट्रांसजेंडर को घरेलू दुर्व्यवहार के संभावति शकिार के रूप में मान्यता नही दी गई है।
 - अपने जीवनसाथियों से उत्पीडन या दुर्व्यवहार का सामना करने वाले पुरुषों को इस अधनियिम के तहत कोई वधिकि संरक्षण प्राप्त नही है और ऐसे मामलों की रपिाट करने पर उन्हें अक्सर संदेह की दृष्टि से देखा जाता है।
- हरिसत और तलाक की कार्यवाही: हरिसत वविादों में न्यायालय अक्सर प्राथमकि देखभालकर्त्ता के रूप में महिलाओं का पक्ष लेते हैं और इसमें पुरुषों को अक्सर हाशयि पर रखा जाता है।
- यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधनियिम, 2012: एकल महिला कसिी भी बच्चे को गोद ले सकती है लेकनिएकल पुरुष बालकिा को गोद नहीं ले सकता है।
 - वविाहति संबंध होने की स्थतिि में पत-पत्नी दोनों को गोद लेने के लिये सहमत होना आवश्यक है।

नोट: [1][2][3][4][5] [6][7][8][9][10] [11][12]-[13][14][15] [16][17] [18][19][20] [21][22][23], 2024 में सर्वोच्च न्यायालय ने पत्नी के लिये गुजारा भत्ता नरिधारति करने हेतु आठ कारक नरिधारति कयि। इसमें नमिन्लखिति शामिल हैं:

- पक्षों की सामाजकि और वत्तितीय स्थतिि
- पत्नी और आश्रति बच्चों की उचित आवश्यकताएँ
- पक्षों की व्यक्तगित योग्यताएँ एवं रोजगार की स्थतिि
- आवेदक के स्वामतिव वाली स्वतंत्र आय या संपत्ति
- वैवाहकि घर में पत्नी का जीवन स्तर
- पारविारकि ज़िम्मेदारियों के लिये कयि गए रोजगार का त्याग
- गैर-कामकाजी पत्नी के लिये उचित मुकदमेबाज़ी लागत
- पत की वत्तितीय क्षमता, उसकी आय, भरण-पोषण दायतिव एवं देयताएँ

झूटे आरोपों तथा वधिकि रूप से उत्पीडन के क्या प्रभाव होते हैं?

- अवसाद और चतिा: झूटे आरोप या वधिकि रूप से उत्पीडन द्वारा गंभीरमनोवैज्ञानकि संकट उत्पन्न हो सकता है जसिसे वशिवासघात, असहायता और दीर्घकालकि चतिा की भावना उत्पन्न हो सकती है।
- सामाजकि कलंक: वधिकि उत्पीडन या झूटे आरोपों का सामना करने वाले पुरुषों को दोषी या अवशि्वसनीय के रूप में संदर्भति कयिा जा सकता है, जसिके परिणामस्वरूप ये परिवार एवं दोस्तों के साथ सामाजकि नेटवर्क से अलग-थलग हो सकते हैं।
- दमति भावनाएँ: पुरुषों से दृढ़ एवं लचीला होने की सामाजकि अपेक्षाएँ उन्हें अपनी कमजोरी व्यक्त करने या सहायता मांगने से हतोत्साहति करती हैं, जसिके परिणामस्वरूप आंतरकि संकट एवं अनुचित मानसकि स्वास्थ्य समस्याएँ उत्पन्न होती हैं।
- वैवाहकि आत्महत्या दर: NCRB के आँकड़े दर्शाते हैं कि वविाहति पुरुषों में महिलाओं की तुलना में आत्महत्या की दर काफी अधकि है, जसिका आंशकि कारण वधिकि एवं सामाजकि चुनौतियाँ हैं।
- वत्तितीय भार: कई पुरुषों के लिये कानूनी प्रक्रियाओं की फीस का भार तथा रोजगार की संभावति हानि, वत्तितीय रूप से वनिाशकारी हो सकती है।

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

झूटे आरोपों के मामले में नविारण

- भारतीय दंड संहतिा की धारा 500 के अंतर्गत पति, मानहानि का मुकदमा दायर कर सकता है।
- CrPC की धारा 9 के तहत पति उस क्षतपिूर्ति की वसूली के लिये दावा दायर कर सकता है, जो उसे और उसके परिवार को क्रूरता एवं दुर्व्यवहार के झूटे आरोपों के कारण हुई है।
- IPC की धारा 182 के तहत 498A से संबंधति झूटे मामलों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान की गई है। झूटे बयान देने पर न्यायपालकिा को गुमराह करने के आरोप में व्यक्तिको 6 महीने की कैद, जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

भारतीय कानून में लैंगकि पूरवाग्रह से संबंधति न्यायकि दृष्टकिा क्या है?

- [1][2][3][4][5] [6][7][8][9][10] [11][12][13][14][15], 1999: सर्वोच्च न्यायालय ने वधिायोग को लकि-तटस्थ बलात्कार कानून के मुद्दे से

नपिटने का नरिदेश दया।

○ परणामस्वरूप, वधिआयोग की वर्ष 2000 की 172वीं रपिर्ट में बलात्कार के अपराध के स्थान पर "यौन हमले" के रूप में लगी-तटस्थ अपराध को शामिल करने की सफारशि की गई।

- [?][?][?][?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?] [?][?][?][?], 2006: इस मामले में, अपराधी की पत्नी ने बलात्कार को देखा, पीड़िता को थपपड़ मारा, दरवाजा बंद किया और आपराधिक मंशा में संलपितता को प्रदर्शति कया।
 - हालाँकि न्यायालय ने फ़ैसला दया कि उसे बलात्कार का दोषी नहीं ठहराया जा सकता क्योंकि वह एक महिला थी।
- सुशील कुमार शर्मा केस, 2005: याचिकाकर्त्ता ने समानता का उल्लंघन करने के लयि IPC की धारा 498A को चुनौती दी।
 - सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि इस प्रावधान के दुरुपयोग से वधिक अतवािद को बढ़ावा मलि सकता है, लेकिन इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य दहेज़ हत्याओं को रोकना है।
- चंद्रभान केस, 1954: चंद्रभान केस, 1954 में दलिली उच्च न्यायालय ने नषिकरष नकाला कपित-पित्नी के बीच मतभेद और शतरुता के दौरान सबसे अधिक नुकसान बच्चों को होता है, क्योंकि पत-पित्नी के खलिफ अधिकांश शकियातें कषणकि आवेश में आकर व्यर्थ बहस के कारण की जाती हैं।
- अर्नेश कुमार बनाम बहार राज्य, 2014: सर्वोच्च न्यायालय ने धारा 498A के तहत अभयिकृत की गरिफ्तारी के समयसावधानी बरतने की आवश्यकता पर ज़ोर दया, क्योंकि यह एक गैर-ज़मानती और संज्जेय अपराध है।

भारतीय कानूनों में लैंगकि तटस्थता कैसे प्राप्त की जाए?

- लैंगकि पूरवाग्रह को स्वीकार करना: यह पुराना दृषटकिण कपुरुष अपराधी होते हैं और महिलाएँ पीड़ति होती हैं, इस तथ्य की अनदेखी करता है कि पुरुष भी घरेलू हसिा, उत्पीडन तथा झूठे आरोपों के शकिकर हो सकते हैं।
 - वधिक सुधारों को इन वास्तवकिताओं को स्वीकार करना चाहयि तथा यह सुनशिचिति करना चाहयि कि कानून पुरुषों, महिलाओं तथा अन्य लगीं को समान रूप से संरक्षण प्रदान करें।
- आपराधिक न्याय प्रणाली को संवेदनशील बनाना: न्यायाधीशों, वधिक पेशेवरों और पुलसि को लैंगकि रूढविादति पर प्रशकिषण कार्यकर्मों तथा कार्यशालाओं के माध्यम से अपने स्वयं के अचेतन पूरवाग्रहों को पहचानने एवं चुनौती देने के लयि संवेदनशील बनाने का प्रयास कया जाना चाहयि।
- मौजूदा कानूनों में संशोधन: लैंगकि रूप से तटस्थ भाषा को अपनाना आवश्यक है, जससे यह सुनशिचिति हो सके कि पुरुष और महिला (यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर व्यक्ती भी) समान रूप से संरक्षति हों।
 - उदाहरण के लयि, "पति" या "पत्नी" के स्थान पर "जीवनसाथी" जैसे शब्दों का प्रयोग यह सुनशिचिति करता है कि कानून लैंगकि दृषटकिण से एक को दूसरे पर वरीयता नहीं देता है।
- पुरुषों कल्याण के लयि संस्थाएँ: संस्थाओं को लैंगकि रूप से तटस्थ होना चाहयि। महिला मंत्रालय का नाम बदलकर मानव वकिस कल्याण मंत्रालय करने की ज़रूरत है ताकि हर व्यक्ती की सुरक्षा हो सके।
- समाज को संवेदनशील बनाना: लैंगकि तटस्थता प्राप्त करने के लयि उन रूढविादतिओं को चुनौती देने की आवश्यकता है जो पुरुषों को मज़बूत और भावनाहीन तथा महिलाओं को कमज़ोर और पोषण करने वाली के रूप में देखती हैं।
 - पुरुष और महिला दोनों ही पीड़ति या अपराधी हो सकते हैं तथा उनके साथ समान व्यवहार कया जाना चाहयि।

[?][?][?][?][?] [?][?][?][?][?] [?][?][?][?][?]:

Q. लैंगकि समानता के संदर्भ में, भारतीय कानूनों में पूरवाग्रहों की जाँच कीजयि। भारत में लैंगकि-तटस्थ कानून बनाने के लयि कौन से सुधार आवश्यक हैं?

UPSC सविलि सेवा परीक्षा वगित वर्ष के प्रश्न

[?][?][?][?][?] [?][?][?][?][?] [?][?][?][?][?]

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सा वशि्व के देशों के लयि 'सार्वभौमकि लैंगकि अंतराल सूचकांक' का श्रेणीकरण प्रदान करता है? (2017)

- वशि्व आर्थकि मंच
- संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषिद
- संयुक्त राष्ट्र महिला
- वशि्व स्वास्थ्य संगठन

उत्तर: (a)

[?][?][?][?][?] [?][?][?][?][?]

प्रश्न 1 "महिला सशक्तीकरण जनसंख्या संवृद्धिको नयिंतरति करने की कुंजी है।" चर्चा कीजयि। (2019)

प्रश्न 2. भारत में महिलाओं पर वैश्वीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों पर चर्चा कीजयि। (2015)

प्रश्न 3. महिला संगठनों को लिंग-भेद से मुक्त करने के लिये पुरुषों की सदस्यता को बढ़ावा मलिनल चाहलल । टपलणल कीजलल । (2013)

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/gender-bias-in-indian-law>

